वित्त निर्देश 33/2006

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन-रायपुर

क्रमांक 332/सी -1409/वित्त/नियम /चार/2006 रायपुर, दिनांक 03 अक्टूबर 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में।

----000----

राज्य शासन द्वारा अपने पेंशन भोगियों को वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 165 /सी-1409/वि/नि/चार /2006 दिनांक 19-04-2006 द्वारा 65 प्रतिशत महंगाई राहत स्वीकार की गई है । राज्य शासन ने अब निर्णय लिया है कि पेंशनरों को प्राप्त हो रही महंगाई राहत दिनांक 1-9-2006 (माह सितम्बर 2006 की पेंशन जो माह अक्टूबर 2006 में देय है)से 70 प्रतिशत की दर से स्वीकार की जाये ।

2- उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation) सेवानिवृत्त (Retiring) असमर्थता (Invaild) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compensation Allowance) पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत की पात्रता वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-बी/43/76/नि-2/चार,दिनांक 5-10-1976 के प्रतिबंधों के अधीन होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन /परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है,वहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-बी-6/10/76/नि-2/चार,दिनांक 27-7-1976 सहपठित ज्ञापन क्र.एफ-बी/10/77/नि-2/चार दिनांक 2-5-1977 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

3- ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute)कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

4- महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

5- राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों /उपकोषालय अधिकारियों /पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक ई-4 /1-83/नि /5/चार दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग -1 के सहायक नियम

347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशरों को उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार छत्तीसगढ़ से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Government of Chhattisgarh
Department of Finance and Planning
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan ,Raipur

N0 332/C-1409/F/R/IV/2006 Raipur,Dated 03/10/2006

T0,

All Department of Government,
The President of Board of Revenue, Bilaspur,
All Heads of Department,
All Collectors,
Chhattisgarh.

Sub:- Grant of Dearness Relief to State Government Pensioners.

----000---

The State Government had sanctioned 65% dearness relief to their Pensioners vide Finance Department Memo No 165/C-1409/F/R/IV/2006 dated 19-4-2006 . The State Government have now decided that the dearness relief admissible to pensioners of Chhattisgarh Government should be sanctioned @70% w.e.f. 01-09-2006(Pension of the month of September 2006 payable in October,2006).

2- The above dearness relief shall be payable on the Superannuation ,Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons reciving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No F.B. 6/43/76/R-II/IV dated, 5-10-76. The dearness relief on the Pension /Family Pension shall not be payable in cases where the pensioners /Family pensioners are appointed / re-appointed under the State Government or autonomous institution. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No .F.B.6/10/76/R-11/IV, dated 27-7-76 read with Memo No .F.B.6/10/77/R11/IV,dated 2-5-77.

3- Pensioners,who have commuted a part of their Pension shall be paid the dearness relief on their original Pension (Pension before Commutation).

4- Fraction of rupee of amount to be paid as dearness relief,shall be rounded off to the next rupee.

5- All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early,keeping in view of the amended provisions of S.R.347of the C.G..T.C Volume-1 issued vide Finance Department's endorsement N0 E-4/1/83/R-V/IV,dated 29 January,1983 . After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General Chhattisgarh. If some inaccuracy /discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month .

By order and in the name of
the Governor of Chhattisgarh

(S.K.Chakraborty)
Deputy Secretary to
Government of Chhattisgarh

पृ.क्रमांक 333/सी –1409/वित्त/नियम /चार/2006 रायपुर, दिनांक 03 अक्टूबर 2006

प्रतिलिपि:-

1.राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2.सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3.सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4.रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर।
5.सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6.निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7.महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8.मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9.सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
10.आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11.आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12.राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर ।
13.समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव ।
14.समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
15.संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
16.मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
17.संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़ ।
18.समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
19.समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
20.संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
21.समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ/पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ ।
22.मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एंड बैंक एकाउन्ट डिपार्टमेंट, सी–7, बांद्रा, कुर्ला काम्पलेक्स, पो.बा.नं.(पूर्व) मुम्बई ।
23.समस्त मुख्य प्रबंधक/उपमहाप्रबंधक/जोनल मेनेजर/चीफ मेनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, पेंशन वितरण बैंको को क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ की ओर वित्त विभाग के पृष्ठांकन कमांक ई 4–1/81/नि.2/चार, दिनांक 22.11.82 की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें, ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पेंशनरो को यथासंभव शीघ्र हो सके ।
24.वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर ।
25.वित्त सचिव, आंध्रप्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद ।
26.वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग ।
27.वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना ।
28.वित्त सचिव, झारखंड शासन, मंत्रालय, रांची ।
29.वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरूवनंतपुरम।
30.वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई ।
31.वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुम्बई ।
32.वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर ।
33.वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर ।

34.वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ ।
35.वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला ।
36.वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर ।
37.वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ ।
38.वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता ।
39.वित्त सचिव, जम्मू काश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर ।
40.वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल ।
41.वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, इंफाल ।
42.वित्त सचिव, नागालैंड शासन, मंत्रालय, कोहिमा ।
43.वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली ।
44.वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय, पणजी, गोवा ।
45.वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक ।
46.वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून ।
47.वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
48.महालेखाकार(लेखा एवं हक), गुजरात पांचवी मंजिल, सी ब्लॉक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद ।
49. महालेखाकार(लेखा एवं हक), मणिपुर, राजकोट ।
50. महालेखाकार–1(लेखा एवं हक), आंध्रप्रदेश हैदराबाद ।
51. महालेखाकार–2(लेखा एवं हक), आंध्रप्रदेश हैदराबाद ।
52. महालेखाकार(लेखा एवं हक), मेघालय, मिजोरम,अरूणंाचल प्रदेश शिलांग
53. वरिष्ठ उपमहालेखाकार(लेखा एवं हक), मणिपुर, इंफाल।
54. प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हक), बिहार, वीरचंद्र पटेल मार्ग, पटना ।
55. प्रधान महालेखाकार–1(लेखा एवं हक), झारखंड, डोंरण्डा, पोस्ट रांची ।
56. महालेखाकार(लेखा एवं हक), केरल, पोस्ट बाक्स नं.5607,तिरूवन्नतपुरम ।
57. महालेखाकार–1(लेखा एवं हक), तमिलनाडु, चेन्नई ।
58. महालेखाकार–2(लेखा एवं हक), तमिलनाडु, चेन्नई ।
59. महालेखाकार(लेखा एवं हक), महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई ।
60. महालेखाकार–2(लेखा एवं हक), महाराष्ट्र, सिविल लाईन, नागपुर ।
61. महालेखाकार–2(लेखा एवं हक), कर्नाटक, रेसीडेंसी पार्क मार्ग, बैगलोर ।
62. महालेखाकार(लेखा एवं हक), उड़ीसा, भुवनेश्वर ।
63. महालेखाकार(लेखा एवं हक), पंजाब, चंडीगढ़ ।
64. महालेखाकार(लेखा एवं हक), हरियाणा, लेखा भवन, प्लाट नं.4, सेक्टर–5, 33 बी चंडीगढ़ ।
65. वरिष्ठ उपमहालेखाकार(लेखा एवं हक), हिमाचल प्रदेश,गोर्टन कंसल भवन,शिमला ।
66. महालेखाकार(लेखा एवं हक), राजस्थान, भगवानदास मार्ग, जयपुर ।
67. महालेखाकार–3(लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
68. महालेखाकार–2(लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
69.प्रमुख उपमहालेखाकार –2(लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल,ट्रेजरी बिल्डिग, कोलकाता।
70. वरिष्ठ उपमहालेखाकार(लेखा एवं हक), जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर ।
71. वरिष्ठ महालेखाकार(लेखा एवं हक), त्रिपुरा, अगरतला ।
72. वरिष्ठ उपमहालेखाकार(लेखा एवं हक), नागालैंड, कोहिमा ।
73. वरिष्ठ उपमहालेखाकार(लेखा एवं हक), सिक्किम,लाकार भवन, गंगटोक ।
74. महालेखाकार(लेखा एवं हक), मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
75. संचालक, लेखा(पेंशन शाखा), गोवा दमन दीप, पोस्ट पणजी, गोवा ।
76. प्रमुख वेतन एवं लेखा अधिकारी, दिल्ली प्रशासन, विकास भवन, नई दिल्ली ।

77. नियंत्रक, लेखा विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली ।
78. नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत शासन, नई दिल्ली ।
79. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र[nic.] को वित्त विभाग की बेबसाईट[http://cgfinance.nic.in] में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.के.चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग